न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः–**163/2017** दायर दिनाँक **14.11.2017**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. विक्रमसिंह पुत्र रामसिंह, उम्र–47साल, जाति–राजपूत, निवासी–अलखपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र,

अन्तर्गत धारा– 111 L.R.Act.

व

स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री समदरसिंह नाथावत, वकील, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.11.2017**

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थी की भूमि वाकै शरहद अलखपुरा में खेत खसरा नम्बर 256 रकबा 28.08 बीघा जिसमें प्रार्थी व उसके भाई इन्द्रसिंह का 1/2 हिस्सा एवम् खसरा नम्बर 86 रकबा 01.14 बीघा व खसरा नम्बर 102 रकबा 10.10 बीघा कुल रकबा 26.08 बीघा थी। न्यायालय में वाद संख्या 12/2013 का निर्णय दिनाँक 23.12.2016 के द्वारा प्रार्थी व उसके भाई का बन्टवारा हो चुका है।

उपर्युक्त निर्णय दिनाँक 23.12.2016 के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी में निम्न खसरान् की भूमि घोषित की गयीः–

प्रार्थी विक्रमसिंह की खातेदारी में भूमि–

शरहद अलखपुरा में खसरा नम्बर 86 रकबा 0.17 बीघा उत्तरी भाग। शरहद अलखपुरा में खसरा नम्बर 890/256 रकबा 07.02 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

विविध प्रार्थना–पत्र 163/2017
दायर दिनाँक 14.11.2017, निर्णय दिनाँक 23.11.2017
विक्रमसिंह बनाम् सरपंच तहसीलदार।

मध्यभाग। इस प्रकार प्रार्थी विक्रमसिंह की खातेदारी में कुल रकबा 13.04 बीघा कृषि भूमि है।

प्रार्थी की खातेदारी सुदा उपर्युक्त भूमि का प्रार्थी सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी के खेत के चिपते ही पड़ौसियों की कृषि भूमि है जहाँ पर हर वक्त खेत की सीमा पर कुछ न कुछ तौड़–फौड़ करते रहते हैं तथा सीमा जो नक्शे में एक सीध में उसे टेढी–मेढी करते रहते हैं। इसलिए प्रार्थी ने हल्का पटवारी से वर्तमान नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा नक्शा ट्रेश किश्तवार मौजा अलखपुरा का नागौर से दिनाँक 01.11.2017 को प्रतिलिपि प्राप्त की है। पड़ौसियों की नियत प्रार्थी की सीमा पर अतिक्रमण करने की रही है तथा पड़ौसी खेत की सीमा पर विवाद करते रहते हैं इसलिए यह आवेदन करना लाजमी आया है।

प्रार्थी एक काश्तकार है तथा भारतीय सेना से रिटायर्ड सेनिक है व वर्तमान में आबकारी विभाग में सर्विस करता है, इसका फायदा उठाकर प्रार्थी की सीमाओं को रद्दो–बदल या टेढी–मेढी करने पर इन्द्रसिंह उतारू रहता है। इसलिए वर्तमान नक्शा नागौर से दिनाँक 01.11.2017 की सीमा जो नक्शे में दर्ज है, के अनुसार प्रार्थी की सीमा कायम कर मौके पर सही स्थिति लेने हेतु भी यह आवेदन पेश है।

दिनाँक 11.11.2017 को प्रार्थी अपने खेत की देखभाल करने गया, तब पड़ौसी काश्तकार इन्द्रसिंह ने प्रार्थी को धमकी दी कि खेत की सीमाओं को स्थिर नहीं रहने देंगे। अगर प्रार्थी की सीमाओं को तौड़–फौड़ दी तो प्रार्थी को अजहद नुकशान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से नहीं होगी। इसलिए भी प्रार्थी को यथास्थान रखने हेतु आवेदन करना लाजमी आया है।

प्रार्थी की प्रार्थना–

नक्शा ट्रेश दिनाँक 01.11.2017 के अनुरूप सीमाज्ञान करवाकर, सीमा कायम, प्रार्थी के खेत की सीमा पर पत्थर गढी करने का आदेश किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

विविध प्रार्थना–पत्र 163/2017
दायर दिनाँक 14.11.2017, निर्णय दिनाँक 23.11.2017
विक्रमसिंह बनाम् सरपंच तहसीलदार।

अधिवक्ता प्रार्थी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। प्रार्थी उपस्थित। पक्षकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत की सीमा पर पत्थर गढी करवाना चाहता है। प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

आदेश 111 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर, शरहद अलखपुरा में खेत खसरा नम्बर 86 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 102 रकबा 05.05 बीघा तथा खसरा नम्बर 890/256 रकबा 07.02 बीघा में पत्थर गढी की करवाने की कार्यवाही करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.11.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner